



Neutral Citation No - 2026:AHC:24257

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-सी संख्या - 2026 की 4179

हबीबुल्लाह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : दिलीप कुमार श्रीवास्तव
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

- कुछ तर्क-वितर्क के पश्चात्, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना को इस बिन्दु तक सीमित किया कि प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील दुमरियागंज, जिला सिद्धार्थ नगर को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67-A के तहत प्रस्तुत आवेदन पर उचित आदेश पारित करें।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 2 प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेंगे।
- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका यह निर्देशित करते हुए अंतिमता से निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील दुमरियागंज, जिला सिद्धार्थ नगर प्रकरण में विधि अनुसार कड़ाई से तथा संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लें, जब तक कि कोई विधिक व्याघात न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"